न्यायालयः— अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन

वउनवान—मोहम्मद आरिफ वनाम जाकिर हुसैन व अन्य
किस्म—दीवानी मूल नंबर—28/17 क.न.—90/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
17-01-26	वादी अधिवक्ता की ओर से ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता श्री मोहम्मद जुबैर उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित। ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण साक्ष्य वादी में नियत है और वादी अधिवक्ता श्री प्रेमप्रकाश जोशी के घरेलू काम आ जाने से अचानक जोधपुर गए है अतः साक्ष्य वादी हेतु एक पेशी दिए जाने का निवेदन किया। इस संबंध में न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रकट है कि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 11.03.2025 को विवाद्यक कायम किए जाने के पश्चात पत्रावली दिनांक 28.04.2025 को साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई, दिनांक 28.04.2025 को अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य हेतु अवसर चाहने पर दिनांक 08.05.2025 नियत की गई जिस पर दिनांक 08.05.2025 को भी साक्ष्य वादी हेतु अवसर चाहने पर समस्त साक्ष्य पेश करने की शर्त पर न्यायहित में अवसर दिया जाकर दिनांक 22.05.2025 वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। दिनांक 22.05.2025 को अधिवक्ता वादी द्वारा आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किए जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 03.07.2025 को नियत की गई तत्पश्चात दिनांक 03.07.2025 को अधिवक्ता वादी द्वारा गवाह मोहम्मद आरिफ, अब्दुल सलाम व अब्दुल रहीम के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किए गए जिस पर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 14.08.2025 के लिए नियत की गई। दिनांक 14.08.2025 को अधिवक्ता वादी ने आदेश 7 नियम 14(3) सपठित	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 25.09.2025 के लिए नियत की गई जिस पर दिनांक 25.09.2025 को उक्त प्रार्थना पत्र का हर्जे सहित निस्तारण करते हुए पत्रावली दिनांक 04.10.2025 को साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। दिनांक 04.10.2025 को पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने से पत्रावली दिनांक 09.10.2025 के लिए नियत की गई। दिनांक 09.10.2025, 16.10.2025, 30.10.2025, 06.11.2025 एवं 15.11.2025 को वादी की माता के कैंसर की बीमारी होने व मुंबई में भर्ती रहकर ईलाज कराने के प्रार्थना पत्र पेश किए जिस पर साक्ष्य वादी में न्यायहित में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27.11.2025 को साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई जिस पर दिनांक 27.11.2025 व 11.12.2025 को अधिवक्त वादी ने वादी के माता पिता दोनो के कैंसर की बीमारी होने एवं दोनो के ईलाज हेतु मुंबई में रूकना बताया जिस पर न्यायहित में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 08.01.2026 के लिए नियत की गई। दिनांक 08.01.2026 को अधिवक्ता वादी द्वारा आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सीपीसी एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 सीपीसी के पेश प्रार्थना पत्रो के संबंध में बहस सुनी जाकर उक्त दोनो प्रार्थना पत्रो का मय हर्जे निस्तारण करते हुए पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 15.01.2026 के लिए नियत की गई। दिनांक 15.01.2026 को अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 8 नियम 1(3) सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किए जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु आज दिनांक के लिए नियत की गई। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 28.04.2025 को पत्रावली साक्ष्य वादी में	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	नियत होने के पश्चात से अधिवक्ता वादी द्वारा हस्तगत प्रकरण में विलंब करने के आशय से बार–बार साक्ष्य हेतु अवसर चाह रहे है और बार–बार प्रार्थना पत्र पेश किए जा रहे है चूंकि **हस्तगत प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लक्षित प्रकरणो की सूची में नंबर 11** पर दर्ज है जिसके शीघ्र निस्तारण के निर्देश है, साथ ही ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता के न आने के संबंध में कोई स्पष्ट कारण भी अंकित नही किया है अतः उक्त तथ्यो को देखते हुए अधिवक्ता वादी को साक्ष्य वादी हेतु **3000/–रूपए हर्जे पर** न्यायहित में एक अंतिम अवसर दिया जाता है और अधिवक्ता वादी को निर्देश दिए जाते है कि वे आगामी पेशी पर साक्ष्य वादी में अपने समस्त गवाहान के शपथ पत्र प्रस्तुत करे व गवाहान को साक्ष्य हेतु उपस्थित रखें। इतना लिखने पर समय 01:15 पी.एम. पर ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी का पेश किया जिसकी नकल दिलवाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य वादी दिनांक 22/1/2026 को पेश हो। Sd/- अपर जिला न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन	